



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.
186/2019

तारीख दायर
02/12/2019

तारीख फैसला
29/08/2025

— उनवान —

सीताराम पुत्र भूरा जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी खरड तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

किशनलाल पुत्र हनुमान सहाय
कैलाश चन्द पुत्र हनुमान सहाय
विशनलाल पुत्र हनुमान सहाय
नन्दकिशोर पुत्र रामलाल
दीनदयाल पुत्र रामलाल
जातियान ब्राह्मण निवासी खरड जमवारामगढ़, जयपुर।
राज0 सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ़, जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

श्री महेश शर्मा — वकील प्रार्थी।

प्रार्थनापत्र बाबत अन्तर्गत धारा 251-ए राज.काश्तकारी अधिनियम 1955

—:निर्णय :-

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता श्री महेश शर्मा के प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खरड पटवार हल्का भावनी, तहसील जमवारामगढ़ हाल आंधी जिला जयपुर में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 128 रकबा 0.37है0 अनुसार स्थित है। जिसमें खातेदारी प्रार्थी काबिज काश्तकार है। उक्त वर्णितानुसार प्रार्थी की काश्तकारी भू सम्पत्ति में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी अनुसार स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 127 रकबा 0.29है0 में से होकर दक्षिणी दिशा की ओर 16 फिट चौड़ाई में अर्से पुराना रास्ता चला आ रहा है तथा उक्त रास्ते से होकर ही प्रार्थी अपने खातेदारी एवं काश्तकारी भूमि में आते जाते हुए अपनी उक्त वर्णितानुसार कृषि उपयोग उपभोग हेतु आवागमन करते आ रहे हैं तथा प्रार्थी के पशु ट्रैक्टर आदि आते जाते हैं, अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी की खातेदारी कब्जे की भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 127 में दक्षिणी दिशा की ओर से प्रार्थी का रास्ता राजस्व रिकार्ड व नक्शों में गै0मु0रास्ता अंकित नहीं होकर अप्रार्थीगण के खातेदारी में अंकित है, जिसके आधार पर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के आवागमन को बाधित किया जाने लगा है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि में प्रार्थी व प्रार्थी के परिवारजन व पशुआन एवं कृषि संसाधन के आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 127 के अन्तर्गत होते हुए 16 फिट चौड़ाई में रास्ता राजस्व रिकार्ड में अमल किया जाना आवश्यक है, जिसका प्रार्थी विधिक अधिकारी है। अतः संलग्न नजरी नक्शों में प्रदर्शित अनुसार प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 128 की भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 127 रकबा 0.29है0 में दक्षिण दिशा सीमा की ओर 16 फिट चौड़ाई अनुसार गै0मु0 आम रास्ता कायम करते हुए गै0मु0रास्ते को जमाबन्दी खतौनी व राजस्व नक्शों में राज्य सरकार के अमल दरामद इन्द्राज करावें।

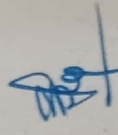
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज0 काश्तकारी अधि0 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर जरिये रजिस्टर्ड डाकर से तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तामील समझ रूप से होने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं आएँ। अप्रार्थीगणों को बार-बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नहीं। अतः अप्रार्थी सं0 1 लगायत 5 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं0 6 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/आरटी/2024/783 दिनांक 26.09.24 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम ग्राम खरड के खसरा नम्बर 128 प्रार्थी के खातेदारी दर्ज रिकार्ड है तथा खसरा नम्बर

127 अप्रार्थीगणों के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। जिस पर भौके पर कोई रास्ता नहीं है तथा भौके पर फसल खड़ी है। उक्त खसरा नम्बर 128 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 127 के दक्षिणी सीमा से लम्बाई 40 मीटर व चौड़ाई 5 मीटर कुल क्षेत्रफल 0.0200है0 रास्ता प्रस्तावित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस सुनने व पैरोकार सरकार का जवाब तथा पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम खरड, पटवार हल्का भावनी, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 128 रकबा 0.37है0 में आवागमन हेतु अप्रार्थी सं0 1 लगायत 5 की भूमि खसरा नम्बर 127 रकबा 0.29है0 में से नजरी नक्शों अनुसार 40 मी0 लम्बा व 5 मी0 चौड़ा अर्थात् कुल रकबा 0.0200है0 रास्ते के रूप में भूमि को गैर मुमकिन रास्ता (सिवाय चक बिला लगानी) के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर अमल करे एवं उक्तानुसार राजस्व नक्शों में तरमीम करे, रास्ते की भूमि में काम आने वाली भूमि के बदले उतनी ही भूमि प्रार्थीगण की लगवा भूमि में से अप्रार्थी सं0 1 लगायत 5 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के उपरान्त अप्रार्थी सं0 1 लगायत 5 के राजस्व नक्शे में उक्तानुसार किस्म गै.मु. रास्ता कायम किया जावे। नक्शा दुरुस्त कर उक्तानुसार रास्ता कायम करने के आदेश तहसीलदार आंधी को दिये जाते हैं।

निर्णय की प्रति तहसीलदार आंधी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 29.08.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ